राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार (RKVY-RAFTAAR) की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) बैठक दिनांक 20 मई, 2019 का कार्यवृत्त

उपस्थिति–संलग्न है।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में उनके सभाकक्ष में निर्धारित समय पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार (RKVY-RAFTAAR) की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) बैठक प्रारम्भ हुयी। बैठक में डा० तारसेम चन्द, संयुक्त सचिव (नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड) कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग नई दिल्ली प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग किया गया। श्री ओम प्रकाश अपर मुख्य सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त, श्री आर० एम० सुन्दरम सचिव पशुपालन एवं मत्स्य विकास, डा० रामविलास यादव अपर सचिव एवं अन्य संबंधित विभागों के अपर सचिव, निदेशक कृषि, निदेशक पशुपालन, निदेशक उद्यान, निदेशक शोध गोविन्द बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर तथा अन्य विभागों के विभागाध्यक्ष एवं संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष / प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि

कृषि निदेशक नोडल विभाग द्वारा गत राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) बैठक दिनांक 19 जुलाई, 2018 की कार्यवाही पटल पर रखा गया। सदस्यों द्वारा कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि एवं उपयोग

कृषि निदेशक नोडल विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2017–18 में रू० 8988.44 लाख का आवंटन किया गया था, जिसका शतप्रतिशत उपयोग कर लिया गया है, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्व में ही भारत सरकार को भेज दिया गया है। वर्ष 2018–19 में रू० 2993.11 लाख प्राप्त हुआ, जिसके सापेक्ष रू० 2993.11 लाख का उपयोग कर है। उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है। रू० 213.58 लाख अवशेष है, जिसमें डेयरी विकास विभाग के पास रू० 69.68 लाख, समन्वय पौधा केन्द्र (कैप) सेलाकुई के पास रू० 100.00 तथा उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम के पास रू० 43.90 लाख है।

वर्ष 2019–20 हेतु भारत सरकार द्वारा रू० 2506.67 लाख का आवंटन किया गया है, जिसमें 2256.00 लाख केन्द्रांश की धनराशि एवं रू० 250.67 लाख राज्यांश की धनराशि सम्मिलित है।

वर्ष 2018–19 में वर्ष 2017–18 की तुलना में आवंटन कम होने के संबंध में कृषि निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 का मूविंग प्लान नहीं मांगा गया था, जिस कारण वर्ष 2016–17 में उपलब्ध कराए गए मूविंग प्लान के आधार पर ही वर्ष 2018–19 का आवंटन किया गया। इस संबंध में भारत सरकार के स्तर पर आयोजित प्री–एस.एल.एस.सी. बैठक में अपर सचिव आर.के.वी.वाई., कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ चर्चा हुई, जिस पर उनके द्वारा निर्देश दिए गए कि प्रदेश स्तर पर कृषि एवं एलाइड सेक्टर में व्यय की जा रही धनराशि का आंकलन उपलब्ध कराए, ताकि आवंटन पर पुनर्विचार किया जा सके। इस संदर्भ में कृषि एवं एलाइड सेक्टर का वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 का वार्षिक परिव्यय भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है।

वर्तमान में संचालित परियोजनाओं की समीक्षा एवं वर्ष 2019–20 के लिए धनराशि का आंवटन

कृषि निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2018–19 में 52 परियोजनायें संचालित थी, जिसमें से 21 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं तथा 31 परियोजनाओं पर कार्य संचालित हैं। इन परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु रू० 9548.40 लाख की आवश्यकता है। विभागवार एवं परियोजनावार समीक्षा की गयी।

1. **उद्यान विभाग**–संयुक्त निदेशक उद्यान द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग में 4 परियोजनायें वर्तमान में संचालित थी, जिनमें से 3 परियोजनायें वर्ष 2018–19 में पूर्ण हो चुकी है। परियोजना Infrastructure Development of Horticulture Input Centerds संबंध में बताया गया कि विभाग के अन्तर्गत निवेशों के वितरण हेतु उद्यान सचल दल इकाई स्तर पर जहां पर विभागीय भूमि उपलब्ध है, कृषि निवेश केन्द्र बनाए जा रहे हैं। वर्तमान में 4 कृषि निवेश केन्द्र बनाए जा रहे हैं। चर्चा में पूछा गया कि यह परियोजना वर्ष 2014–15 में स्वीकृत हुई थी परन्तु अभी तक पूर्ण नहीं हुई है इस संदर्भ में विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना हेतु धनराशि वर्ष 2018–19 में उपलब्ध हुई है, जिस पर कार्य गतिमान है। विभाग को परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। कृषि निदेशक द्वारा बताया गया कि परियोजना हेतु अवशेष रू० 4.33 लाख उपलब्ध कराया जाना है। चर्चा के उपरान्त सहमति दी गयी कि धनराशि की उपलब्धता के आधार पर संबंधित विभाग की मांग एवं कार्यों के क्रियान्वयन के अनुसार धनराशि उपलब्ध करायी जाए।
2. **उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद**–प्रबन्ध निदेशक जैविक उत्पाद परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग में 4 परियोजनायें वर्तमान में संचालित की जा रही थी, जिनमें से निम्न 3 परियोजनायें परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत में संचालित की जा रही हैं। शेष 1 परियोजना Support for continuing Farmers and Area under Organic regime identified by the UOCB in various schemes वर्ष 2019–20 में संचालित की जाएगी। योजनान्तर्गत क्रमिक रूप से 62 हजार हैक्टेयर प्रमाणीकरण का कार्य किया जाएगा। वर्ष 2019–20 में 1.50 लाख कृषक प्रमाणीकरण के अन्तर्गत आच्छादित होगें। यह कार्य कृषि विभाग एवं उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद द्वारा सामुहिक रूप से किया जा रहा है। परियोजना हेतु रू० 417.85 लाख उपलब्ध कराया जाना है। चर्चा के उपरान्त सहमति दी गयी कि धनराशि की उपलब्धता के आधार पर संबंधित विभाग की मांग एवं कार्यों के क्रियान्वयन के अनुसार धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी।
3. **रेशम विभाग**– रेशम विभाग के अन्तर्गत 3 परियोजनायें संचालित है। निदेशक रेशम द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2018–19 में उन्हें जो धनराशि उपलब्ध हुई है, जिसका उनके द्वारा उपयोग किया गया है तथा वर्ष 2018–19 में 3 परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए रू० 261.32 लाख की आवश्यकता है। चर्चा के उपरान्त धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कार्यों के क्रियान्वयन के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान की गयी।
4. **पशुपालन विभाग**– निदेशक पशुपालन द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग के अन्तर्गत 2 परियोजनायें संचालित की जा रही थी, जो कि पूर्ण हो चुकी हैं। परियोजना Foot & Mouth Disease Control Programme पर चर्चा की गयी, निदेशक पशुपालन ने अवगत कराया गया कि इस परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा पृथक से धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है, जिस कारण आर.के.वी.वाई. से धनराशि प्रस्तावित नहीं की गयी है।

5. उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड–मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 4 परियोजनायें संचालित हैं, जिसमें से Ahilya Bai Holkar Yojana for Sheep and Goat Development को एस.एल.पी.एस.सी. बन्द करने पर विचार किया गया, चर्चा के उपरान्त एस.एल.पी.एस.सी. में लिए गए निर्ण के क्रम में परियोजना को बंद करने पर सहमति प्रदान की गयी। शेष 3 परियोजनाओं हेतु अवशेष धनराशि रू० 216.70 लाख भारत सरकार से आवंटन को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराने के संबंध में सहमति प्रदान की गयी।

6. उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड– उपमहाप्रबन्धक तकीनीकी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2018–19 में 5 परियोजनायें संचालित थी, जो कि वर्ष 2019–20 में पूर्ण हो जाएगी। परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु रू० 298.48 लाख की आवश्यकता है। चर्चा में बताया गया वर्ष 2014–15 में चयनित कि 4 परियोजनायें लगभग पूर्ण होने की स्थिति में हैं। शेष एक परियोजना Setting up of a new Wholesale Market For Agricultural And Horticultural Produce at Narender nagar, Tehri जो कि वर्ष 2017–18 में स्वीकृत हुई है, पर कार्य किया जाना है। संबंधित परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु भारत सरकार से आवंटित धनराशि को ध्यान में रखते हुए धनराशि उपलब्ध कराने धनराशि स्वीकृति पर सहमति प्रदान की गयी।

7. औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार–बैठक में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना Establishment of Germplasm centre with nursery of walnut other nuts and apricots पूर्ण हो चुकी है। यह परियोजना प्रदेश के कृषकों के लिए लाभकारी है इस परियोजना पर आगे भी कार्य करना चाहते हैं, चर्चा के उपरान्त निर्देश दिए गए कि उद्यान निदेशक से समन्वय स्थापित करें, उन्हें कितने फल पौध उपलब्ध करा सकते हैं तथा औचित्य सहित प्रस्ताव एस.एल.पी.एस.सी. के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए।

8. नेशनल सीड् कार्पोरेशन–क्षेत्रीय प्रबन्धक खेमपुर रूद्रपुर द्वारा अवगत कराया कि परियोजना Erecting Chain Link Fencing of Vegetable Seed Production & Development of Neem Forest in Nearby hill Forest in Nainidanda Block of Pauri District के दो फेस की धनराशि उपलब्ध हो गयी है, जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है, उनके द्वारा तीसरे फेस हेतु अवशेष धनराशि की मांग की गयी। अपर मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा एन.एस.सी. के प्रतिनिधि से जानकारी चाही गयी कि दो फेस की धनराशि से जो कार्य किया गया है, उससे पर्वतीय क्षेत्र के बीजों की कितनी मात्रा उत्पादित की गयी, कौन–कौन सी प्रजातियों की बीज तैयार किए गए तथा कृषि विभाग को कृषकों में वितरण हेतु कितनी मात्रा उपलब्ध करायी गयी, इसका बीज निगम के प्रतिनिधि स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए। कृषि निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि एस.एल.पी.एस.सी. मे परियोजना पर चर्चा हुई तथा संबंधित परियोजना का थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके मूल्यांकन हेतु नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन को लिख गया है। चर्चा के उपरान्त एस.एल.पी.एस.सी. बैठक में लिए गए निर्णय पर थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराने की सहमति दी गयी तथा निर्णय लिया गया कि बाह्य संस्थाओं से मूल्यांकन के उपरांन्त परियोजना हेतु धनराशि उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा।

9. नेशनल बी–बोर्ड–कृषि निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना Integrated development of scientific beekeeping by adopting cluster/area/ district development approach for enhancinsg crop. productivity & income of beekeepers/farmers and generating employment in Kumaon division Uttarakhand वर्ष 2014–15 में स्वीकृत है। परियोजना हेत् रू० 50.00 लाख उपलब्ध कराए गए थे, जिसका उपयोग कर लिया गया है।